भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4132
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का संवितरण

4132. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का किसी बकाया और विलंब के बिना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामगारों को मजदूरी का भुगतान करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का केरल के कोल्लम जिले में मनरेगा कामगारों की बकाया मजदूरी राशि का भुगतान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोल्लम जिले द्वारा प्रस्तुत किए गए 104.30 लाख मानव कार्य दिवसों के श्रम बजट को मंजूरी देने का विचार है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या सरकार ने 7658.57 लाख रुपए की बकाया राशि के संवितरण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है;
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(झ) क्या सरकार का कार्य-निष्पादन और आवश्यकता के आधार पर कोल्लम जिले के श्रम बजट को अनुमोदित करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) और (छ) एवं (ज): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य /संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधियां जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत

करते हैं। मंत्रालय समय-समय पर दो खेपों में निधियां जारी करता है, जिसमें प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्तों में होती है , जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देयताओं, समग्र कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (19.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, कुल 84,114.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं , जिसमें मजदूरी घटक के लिए 62,660.45 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 21,454.25 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसी अवधि के दौरान, केरल राज्य को 3,034.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें मजदूरी घटक के लिए 2,451.57 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए 582.67 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। भारत सरकार राज्य सरकार को सामग्री और प्रशासनिक निधियां जारी करती है और राज्य सरकार तदनुसार अपने जिलों को निधियां जारी करती है। भारत सरकार जिलों को सीधे तौर पर सामग्री निधियां जारी नहीं करती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 97.79% निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) देश भर में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर तैयार किए गए हैं। इसी अवधि में केरल में यह प्रतिशत 99.39% है।

(ड.), (च) और (झ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "सहमत" श्रम बजट के आवंटन के संबंध में, उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाता वे उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव भेजें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति "सहमत" श्रम बजट को अनुमोदन देती है। अधिकार प्राप्त समिति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव भी सदस्य के रूप में

शामिल हैं। यह "सहमत" श्रम बजट बेहतर नियोजन के लिए एक सांकेतिक संख्या है, ताकि मांग के अनुरूप समय पर काम उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष के दौरान, नामांकित परिवारों द्वारा रोजगार की मांग के आधार पर "सहमत" श्रम बजट को संशोधित किया जा सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नरेगा सॉफ्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 (21.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के लिए, केरल के लिए स्वीकृत श्रम बजट 600 लाख श्रम दिवस है, जिसकी तुलना में राज्य में कुल 866.56 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार, केरल के कोल्लम जिले में इसी अवधि के लिए अनुमानित श्रम दिवस (राज्य सरकार के अनुसार) 60.09 लाख है, जिनकी तुलना में आज तक 91.61 लाख श्रम दिवस सृजित किए जा चुके हैं।